

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 775/09

संस्थित दिनांक-22.10.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अनिल पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 36 साल

निवासी विरगंवा थाना फूप

हाल शास्त्रीनगर ए ब्लॉक भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.02.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.09.09 को चितौरा ग्वालियर रोड तिराहे पर अपने आधिपत्य के वाहन को लोक सेवक जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा प्रख्यापित आदेश दिनांक 24.04.09 के पालन में लोकसभा चुनाव 2009 में चुनाव आदर्श आचार संहिता जो दिनांक 13.08.09 से 16.09.09 तक प्रभावशील थी, बिना अनुमति के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंत्री के चुनाव प्रचार रैली में चुनाव प्रचार कर उक्त लोकसेवक जिला दण्डाधिकारी के उक्त प्रख्यापित आदेश की विधिपूर्ण अवज्ञा की।

2. प्रकरण में अभियुक्त जगदीश फरार है तथा अभियुक्त कलियान के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः यह निर्णय उपस्थित अभियुक्त अनिल के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2009 के समय थाना गोहद में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रकाशसिंह द्वारा दिनांक 07.09.09 को इलाका भ्रमण के दौरान चितौरा ग्वालियर रोड पर चैकिंग के दौरान दोपहर करीब 2:05 बजे वाहन टाटासूमो क्र0 एम0पी0-07 एच-6155, स्कार्पियो क्रमांक एम0पी0-07 बी0ए0-0953 तथा टाटा स्पेसियो क्र0 एच0आर0-37 बी 7247 के चालकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में पाए जिनसे परमीशन चाही गयी किन्तु उनके चालकों द्वारा परमीशन न होना बताई। उक्त वाहनों को साक्षियों के समक्ष जब्तकर जब्ती पत्रक तैयार किया। अभियुक्त जगदीश साहू को गिरफ्तार किया गया। थाना वापसी पर अप0क्र0-223/09

पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए, अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अनुविभागीय दण्डाधिकारी के परिवाद सहित अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दि० 07.09.09 को चितौरा ग्वालियर रोड तिराहे पर अपने आधिपत्य के वाहन को लोक सेवक जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा प्रख्यापित आदेश दिनांक 24.04.09 के पालन में लोकसभा चुनाव 2009 में चुनाव आदर्श आचार संहिता जो दिनांक 13.08.09 से 16.09.09 तक प्रभावशील थी, बिना अनुमति के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंत्री के चुनाव प्रचार रैली में चुनाव प्रचार कर उक्त लोकसेवक जिला दण्डाधिकारी के उक्त प्रख्यापित आदेश की विधिपूर्ण अवज्ञा की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में धीरसिंह अ०सा० 1, राजकुमार अ०सा० 2, प्रकाशसिंह भदौरिया अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गयी है।

7. प्रकरण में कार्यवाही कर्ता प्रकाशसिंह भदौरिया अ०सा० 3 के रूप में उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह कथन किया कि दिनांक 07.09.09 को थाना गोहद में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को इलाका भ्रमण के दौरान चितौरा तिराहा ग्वालियर रोड पर करीब 2:05 बजे वाहन चैकिंग कर रहे थे उसी समय वाहन टाटासूमो क्र० एम०पी०-07 एच-6155, स्कार्पियो क्रमांक एम०पी०-07 बी०ए०-0953 तथा टाटा स्पेसियो क्र० एच०आर०-37 बी 7247 के चालक कांग्रेस के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में मिले जिनसे परमीशन (अनुमति) चाही तो न होना बताई। उक्त चालकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने से धारा 188 भादवि० के अधीन दण्डनीय होने से उक्त वाहनों को जब्त किया। अभियुक्त जगदीश साहू से स्कार्पियो क्रमांक एम०पी०-07 बी०ए०-0953 काले रंग की मय चालक अनुज्ञप्ति के जत्तकर जब्ती पत्रक तैयार किया था जो प्रपी० 1 है जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। अन्य गाड़ियों के चालकों का घटनास्थल से भाग जाने का कथन करते हुए घटनास्थल से अन्य दोनों वाहन टाटासूमो क्र० एम०पी०-07 एच-6155 तथा टाटा स्पेसियो क्र० एच०आर०-37 बी 7247 मौके पर जत्तकर जब्ती

पत्रक क्रमशः प्रपी0 2 व 3 बनाए जाने और उन पर भी बी से बी भागपर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त जगदीश को घटनास्थल से गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 बनाए जाने का कथन करते हैं और उस पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। उक्त कार्यवाही के बाद अभियुक्त को थाने मय संपत्ति के लाकर अप0क्र0-223/09 प्रपी0 5 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने एवं जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में कथित घटनास्थल पर अभियुक्त अनिल को गिर0 नहीं किया गया, बल्कि अभियुक्त अनिल को दिनांक 17.09.2009 को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 6 बनाए जाने का कथन किया गया है।

8. प्रकरण में अभिकथित जब्ती व गिर0 की कार्यवाही का साक्षी धीरसिंह अ0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि उसके समक्ष कोई भी वाहन जब्त नहीं किए और न ही वह किसी अभियुक्त को जानता है, प्र0पी0 1 लगायत 4 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर होना अवश्य स्वीकार किया है किन्तु अभिकथित रूप से उसके समक्ष जब्ती व गिरफ्तारी के संबंध में कोई भी सारवान कथन नहीं किया है। प्रकरण में साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्नों में उसके समक्ष पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहनों के साथ अभियुक्त जगदीश को गिरफ्तार किए जाने का सुझाव दिया गया है किन्तु साक्षी द्वारा उक्त सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। प्रकरण में अभिकथित कार्यवाही का अन्य पंच साक्षी कल्याण पुत्र सीताराम माहौर कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका। ऐसे में प्र0पी0 1 लगायत 4 की दस्तावेजी साक्ष्य में किसी भी स्वतंत्र साक्षी की अभिपुष्टि अभिलेख पर नहीं हैं।

9. प्रकरण में अन्य साक्षी प्र0आर0 राजकुमार अ0सा0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया जो घटना के समय जब्तीकर्ता अधिकारी प्रकाशसिंह भदौरिया के साथ होने का कथन करते हैं और यह बताते हैं कि उनकी ड्यूटी ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में लगाई गयी थी उसी समय ग्वालियर चितौरा तिराहे पर वाहन चैकिंग के समय वाहन टाटासूमो क्र0 एम0पी0-07 एच-6155, स्कार्पियो क्रमांक एम0पी0-07 बी0ए0-0953 तथा टाटा स्पेसियो क्र0 एच0आर0-37 बी 7247 को रोककर चालकों से रैली बावत् परमीशन श्री भदौरिया द्वारा चाही गयी तो परमीशन न होना बताई। तब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से उक्त वाहनों को जब्तकर जब्ती पत्रक बनाए जाने का कथन करते हैं और वाहन क्रमांक एमपी0-07 एच-6155 एवं एच0आर0 37-बी-7247 के चालकों का वाहन छोड़कर भाग जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से यह साक्षी यद्यपि पंच साक्षी के रूप में नहीं हैं किन्तु उसकी साक्ष्य अभियोजन के मामले का संपोषक साक्ष्य के रूप में समर्थन करती है। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त कौन से वाहन को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि अभियुक्त अनिल वाहन का चालक था या

मालिक, यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि अभियुक्त अनिल को घटनास्थल पर गिरा किया गया था थाने पर। साक्षी एक महत्वपूर्ण कथन करता है कि दो गाड़ियों के चालक वाहन छोड़कर भाग गए थे और दो वहां मौजूद रहे थे, जबकि प्रकाशसिंह भदौरिया अ0सा0 3 के अनुसार केवल एक अभियुक्त जगदीश मौके पर मिला था। इस प्रकार से साक्षी का कथन जब्तीकर्ता के कथनों से भिन्नता रखता है। राजकुमार अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में ही अभियुक्त अनिल को पहचानने में अस्मर्थ है जिसका कारण वे काफी समय हो जाना बताते हैं। इस प्रकार से अभियोजन का संपूर्ण मामला कार्यवाही कर्ता प्रकाशसिंह भदौरिया अ0सा0 3 की अभिसाक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।

10. प्रकाशसिंह भदौरिया अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनके द्वारा अभिकथित वाहनों को घटनास्थल पर जब्त किया था और अभियुक्त को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था जिसका समय दोपहर 2:05 बजे से दोपहर 2:30 बजे की कार्यवाही के रूप में प्र0पी0 1 लगायत 4 के दस्तावेजों पर उल्लेखित किया गया है। प्राथमिकी प्र0पी0 5 प्रकाशसिंह अ0सा0 3 द्वारा थाने वापसी पर पंजीबद्ध किए जाने का कथन किया है। उक्त प्राथमिकी पर पंजीबद्ध किए जाने का समय दिनांक 07.09.09 को दोपहर 3:30 बजे का लेख किया जाना दर्शित है, इसके बावजूद प्र0पी0 1 लगायत 4 के दस्तावेजों पर प्राथमिकी का अप0क9-223/09 स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इस प्रकार से यदि अभिकथित जब्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही प्र0पी0 1 लगायत 4 के अनुसार यदि घटनास्थल पर की गयी होती तो उस पर सुसंगत अप0 कमांक कैसे अंकित किया गया, इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है जो कि संदेहपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है।

11. प्रकाशसिंह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने अभिकथित कार्यवाही की कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई थी, वह उन व्यक्तियों के नाम बताने में भी अस्मर्थ हैं जो उन वाहनों को चलाकर थाने पर लाए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि वाहनों में बैठी सवारियों के नाम न तो उन्होंने पूछे और न ही कथन लिए थे। उन्होंने जब्तशुदा गाड़ियों के स्वामियों का कोई कथन अंकित नहीं किया कि घटना दिनांक को वाहनों को कौन चला रहा था। साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि जो चालक वाहन छोड़कर चले गए उनके नाम अभियुक्त जगदीश ने बताए थे। इस प्रकार से अभियुक्त अनिल के संबंध में अभियोजन के मामले का आधार पूर्णतः सह अभियुक्त जगदीश के द्वारा बताए जाने आधारित किया गया है। जहां तक सह अभियुक्त का कथन का प्रश्न है तो सह अभियुक्त का कथन यदि संस्वीकृति के रूप में है, तो वह अन्य सह अभियुक्त के बारे में विचार में लिया जा सकता है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 उपबंधित करती है, जो कि निम्नानुसार उपबंध करती है -

“जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को

प्रभावित करने वाली की गयी संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।”

12. इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के अनुसार साबित संस्वीकृति के संबंध में न्यायालय उसे सह अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सकता है। प्रकाशसिंह अ0सा0 3 के द्वारा अभिकथित रूप से अभियुक्त जगदीश के बताने के अनुसार अभियुक्त अनिल का अपराध में संलिप्त होना बताया है किन्तु स्वयं अभियुक्त जगदीश के संबंध में विचारण प्रथक किया गया है और उसकी कथित संस्वीकृति अभिलेख पर साबित स्थिति में नहीं हैं। इसके साथ साथ न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत अखलाख विरुद्ध उ0प्र0 राज्य (2011) 1 एसीसी क्रिमनल 981 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 30 के अधीन सह अभियुक्त के विरुद्ध की गयी संस्वीकृति को कमजोर साक्ष्य के रूप में माना है। बिना संपुष्टि के दोषसिद्धि किया जाना सुरक्षित नहीं माना है। इसके अतिरिक्त अभिकथित संस्वीकृति जो अभियुक्त जगदीश से प्राप्त होना बताई गयी है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अधीन पुलिस अधिकारी को की गयी संस्वीकृति के कारण ग्राह्य नहीं हैं।

13. अभियुक्त अनिल के संबंध में प्रकाशसिंह अ0सा0 3 द्वारा यह कथन किया है कि उन्होंने दिनांक 17.09.09 को अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 6 बनाया था जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। इस प्रकार से प्र0पी0 6 की कार्यवाही घटना दिनांक को नहीं हुई है। इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त कथित गाडी टाटा स्पेसियो क्रमांक एच0आर0 37 बी-7247 को चला रहा था। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि घटनास्थल पर यदि कोई कार्यवाही होती तो इस संबंध में रोजनामचा सान्हा सुसंगत होता किन्तु कोई रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क प्रकरण की परिस्थिति में विचारणीय एवं अभियोजन की कार्यवाही को संदिग्ध दर्शाने हेतु बल प्रदान करता है, क्योंकि प्रकाशसिंह अ0सा0 3 व राजकुमार अ0सा0 2 अपनी ड्यूटी के दौरान उक्त कार्यवाही करना बताते हैं। ऐसे में कथित ड्यूटी पर होने का प्रमाण रोजनामचा सान्हा अथवा कर्तव्य प्रमाण पत्र हो सकता था, जो कि अभिलेख पर नहीं हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त कलियान के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं। अभियुक्त को भादवि0 की धारा 188 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. जब्तशुदा संपत्ति सुपुर्दगी पर है। अन्य सह अभियुक्तगण के संबंध में निष्कर्ष उपरांत उसका निराकरण किया जावेगा।

17. प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त के फरार होने तथा प्रकरण को सुरक्षित रखने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश